developed Arjun tank which is world-class, with a potential export market;

(b) whether the minor flaws pointed out by the Army from time to time have been rectified and whether such rectifications are a continuing process;

(c) the reasons for which orders have not been placed for it; and

(d) whether foreign arms lobbies are interested in delaying and, if possible, killing this project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DEPARTMENT OF DEFENCE AND DEPTT. OF DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT) (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The main battle tank is undergoing final phase of trials. Most of the improvements suggested by the Services have been incorporated. Product improvement for weapon system is however a continuous process. The Arjun tank has given excellent performance in trials held during Aug-Oct. 1995. The Army is expected to give go-ahead for production shortly. Action for technology transfer to production agency and planning for productionisation are already under progress.

(d) Government have not come across any direct evidence in this regard.

"इन्टर-सिटी" एक्सप्रेस रेलगाड़ी का प्रचालन

431. **श्री राजूभाई ए० परमार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) सरकार द्वारा "इन्टर-सिटी" एक्सप्रेस के प्रचालन के लिए क्या मानदण्ड नियत किया गया है और एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक आने-जाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ख) विभिन्न राज्यों से "इन्टर-सिटी" एक्सप्रेस शुरू करने के लिए सरकार को कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) सरकार को पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत गांधी धाम-राजकोट, मुम्बई, सूरत, राजकोट, जामनगर-पोरबन्दर के रास्ते एक नयी "इन्टर-सिटी" एक्सप्रेस शुरू करने के लिए अब तक कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) दो स्थलों के बीच दिन में इंटर सिटी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने के बारे में यात्री यातायात की नियमित मात्रा, चालन समय, मार्ग, टर्मिनल क्षमता की उपलब्धता सहित परिचालनिक कारकों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से योजना बनाई जाती है कि गाड़ी एक स्थल से प्रातः चल सके और उसी दिन शाम/रात्रि में वापिस आ सके।

(ख) और (ग) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, तथापि, ऐसे अभ्यावेदनों के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि गाड़ियों की राज्य-वार योजना नहीं बनाई जाती है।

(घ) और (ङ) इन मांगों की जांच की गई है परन्तु वे परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पायी गयीं।

Supreme Court's direction on Accountability of Political Parties

432. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Supreme Court has in an order issued on the 20th July, 1995, requested Parliament and Government to lay down rules to enforce greater accountability and better account keeping in collection and disbursement of funds by political parties in election to Parliament and State Legislatures;

(b) if so, what were the precise observations and suggestions made by the apex court; and

(c) what is Government's reaction thereto?